कार्यकारी सार

सीएजी के (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 16 सीएजी को भारत की समेकित निधि में देय प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करने तथा यह संतुष्ट करने का अधिकार देती है कि राजस्व के निर्धारण, संग्रहण तथा उचित आवंटन पर प्रभावी जांच करने के लिए नियम तथा प्रक्रियाएं बनाई गई है तथा उनका पूर्ण रूप से अनुसरण किया जा रहा है। हमने केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के संवीक्षा, आन्तरिक लेखापरीक्षा आदि से संबंधित कार्यों की जांच की तथा निर्धारितियों के उन अभिलेखों, जो कर गणना का आधार बनाते है, का स्थापित तंत्र की मौजूदा प्रभावकारिता की जांच करने हेतु, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्धारिती स्व-निर्धारण के इस काल में मौजूदा नियमों तथा प्रक्रियाओंका अनुपालन करते हैं, सत्यापन किया। विभागीय कार्यों तथा निर्धारितियों द्वारा अनुपालन की नियमित लेखापरीक्षा के अलावा, इस वर्ष हमने दो प्रमुख मदों अर्थात प्लास्टिक तथा उसकी वस्तुओं और तम्बाकू उत्पादों पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) की।

इस प्रतिवेदन में केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर 104 लेखापरीक्षा आपत्तियां हैं जिनका वित्तीय प्रभाव ₹ 665.93 करोड़ है। मंत्रालय/विभाग ने सितम्बर 2017 तक ₹ 343.30 करोड़ के राजस्व वाली 93 लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार की तथा 44 मामलों में ₹ 271.45 करोड़ की वसूली सूचित की। कुछ महत्वपूर्ण आपत्तियां तथा निष्कर्ष निम्नानुसार है:-

अध्याय I: केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रशासन

- वित्त वर्ष 2016-17 (वि.व. 17) के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण ₹ 3,80,495 करोड़ था तथा वि.व. 17 में अप्रत्यक्ष कर राजस्व का 44.13 प्रतिशत था। वि.व. 16 की तुलना में, वि.व. 17 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व ₹ 93,346 करोड़ (32.51 प्रतिशत) तक बढ़ा। प्रतिबन्धित छूटों के कारण केंद्रीय उत्पाद शुल्क में छोड़ा गया राजस्व वि.व. 17 में ₹ 76,844 करोड़ था जो कुल केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व का 20.20 प्रतिशत था।

(पैराग्राफ 1.6 तथा 1.11)

- वि.व. 16 की समाप्ति पर लम्बित राशि में 18 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए वि.व. 17 की समाप्ति पर अपील में ₹ 1,08,563 करोड़ के राजस्व वाले मामले लम्बित थे। चूंकि जब तक अपील लम्बित है तब तक राजस्व की वसूली के लिए कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की जा सकती, सरकारी कोष में ₹ 1,08,563 करोड़ का संभावित राजस्व ले जाने के लिए विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा शीघ्र निपटान महत्वपूर्ण है।

(पैराग्राफ 1.18)

अध्याय II: प्लास्टिक और उसके उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क का उदग्रहण और संग्रहण

लेखापरीक्षा ने प्लास्टिक क्षेत्र में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के उदग्रहण, निर्धारण तथा संग्रहण के संबंध में विभाग द्वारा नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुपालन में कमियां देखीं।

- विभाग ने 2013-14 से 2015–16 की समयावधि के दौरान प्लास्टिक की वस्तुओं के विनिर्माण से संबंधित 1,296 मामलों में से फाइल न की गई विवरणियों के 128 (100 प्रतिशत) मामलों तथा विलम्बित फाइल की गई गई विवरणियों के 809 (62.42 प्रतिशत) मामलों में न तो कोई कार्रवाई की न ही कोई शास्ति लगाई थी।

(पैराग्राफ 2.4.3)

- विभाग 2013-14 से 2015-16 की समयावधि के दौरान एसीईएस सिस्टम द्वारा समीक्षा एवं सुधार (आरएंडसी) के लिए चिन्हित 25,898 विवरणियों में से 2,900 (11.20 प्रतिशत) मामलों में आरएंडसी करने में विफल हुआ।

(पैराग्राफ 2.4.4)

- प्लास्टिक निर्माताओं से संबंधित 106 मामलों में, लेखापरीक्षा ने ₹ 4.71 करोड़ के राजस्व वाली विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा तथा अन्य चूकें देखी। अन्य 190 मामलों में, लेखापरीक्षा ने निर्धारितियों द्वारा ₹ 7.68 करोड़ के राजस्व वाले अधिनियम, नियमों आदि का अननुपालन देखा।

(पैराग्राफ 2.4.7 से 2.4.9 तथ 2.4.11)

- कर दायरे को बढाने के लिए राज्य वाणिज्य कर डाटाबेसों के साथ केंद्रीय उत्पाद शुल्क डाटा का प्रति सत्यापन करने के लिए विभाग द्वारा कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया।

(पैरागाफ 2.4.10)

अध्याय III: तम्बाकू उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण और संग्रहण

लेखापरीक्षा ने तम्बाकू उत्पादों से संबंधित अधिनियम/नियमों/अधिसूचनाओं के विशिष्ट प्रावधानों के अनुपालन में कमियां देखी जिन्हे बीडी इकाईयां, जो अधिकतर अनौपचारिक क्षेत्र में प्रचालन करती हैं, द्वारा विवरणियां फाइल करने की पहचान करने तथा इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र की कमी और विभाग द्वारा निर्धारित अभिलेखों के अनुरक्षण के खराब प्रवर्तन तथा सिगरेट इकाईयों की तिमाही जांच न करने के द्वारा दर्शाया गया। पान मसाला तथा चबाने वाले तम्बाकू उत्पादों के मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग, पाउचों के 'माने गये उत्पादन' के अतिरिक्त असामान्य अधिक उत्पादन का संज्ञान लेने में विफल हुआ जिसके कारण राजस्व की हानि हुई। महत्वपूर्ण आपत्तियां निम्नलिखित है:

- विभाग ने 2013-14 से 2015-16 तक की समयावधि के दौरान 3,838 मामलों में से फाइल न की गई विवरणियों के 3,822 (99.58 प्रतिशत) मामलों तथा विलम्बित फाइल विवरणियों के 1,480 मामलों में से 901 (60.88 प्रतिशत) मामलों में न तो कोई कार्रवाई की और न ही कोई शास्ति लगाई।

(पैराग्रफ 3.4.1)

- एसीईएस सिस्टम द्वारा समीक्षा एवं सुधार (आरएंडसी) के लिए चिन्हित 46,676 विवरणियों में से विभाग 2013-14 से 2015-16 तक की समयावधि के दौरान 10,071 (21.53 प्रतिशत) मामलों में आरएंडसी करने में विफल हुआ।

(पैराग्राफ 3.4.2)

- उत्पादन क्षमता के आधार पर चबाने वाले तम्बाकू/पान मसाले पर शुल्क के भुगतान के नमूना जांच किए गए 10 मामलों में, लेखापरीक्षा ने ₹ 309.18 करोड़ के राजस्व् वाला 'माने गये उत्पादन' से 325 प्रतिशत तक अधिक उत्पादन देखा।

(पैराग्राफ 3.6.3)

- तम्बाकू विनिर्माताओं से संबंधित 40 मामलों में, लेखापरीक्षा ने निर्धारितियों द्वारा ₹ 97.72 लाख के राजस्व वाले अधिनियम, नियमों आदि का अननुपालन देखा।

(पैराग्राफ 3.7)

अध्याय IV: नियमों एवं विनियमों का अननुपालन

- लेखापरीक्षा ने ₹ 45.40 करोड़ के राजस्व् वाले सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ लेने तथा उपयोग करने, केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान न करने/कम भुगतान करने के 44 मामले देखे।

(पैराग्राफ 4.1)

अध्याय V: आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता

- लेखापरीक्षा ने विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई आन्तरिक लेखापरीक्षा में कमियों तथा अन्य मुद्दो से सम्बंधित ₹ 279.19 करोड़ के राजस्व वाले 58 मामले देखे।

(पैराग्राफ 5.2)